

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

**1. Case No 8940/2022 M/s NICDC Vikram Udyogpuri Ltd, Administrative Building, New Plot No. 152, Village - Narwar, Dist. Ujjain, MP - 456664 Prior Environment Clearance for Proposed 1 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD at Plot No. 64, Zone-II, Vikram Udyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Category- 7-h, Env. Consul. M/s. MITCON, Pune.**

The proposed project falls under item no 7(h) for Proposed 1 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD at Plot No. 64, Zone-II, Vikram Udyogpuri, Dist. Ujjain (MP). Hence, requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

In the 548<sup>th</sup> SEAC meeting dated 10-02-2022 TOR was recommended and TOR approved in 708<sup>th</sup> SEIAA meeting dated 24-02-22. TOR issued vide letter no. 3326-27/SEIAA/22 dated 14-03-22 valid till 23-02-2025.

PP has submitted on-line the EIA report on the Parivesh Portal and same was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Nikhil Chavan from M/s. MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd. Pune and PP Shri S.K.Jain , E.E. DMIC,

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

Indore attended through on-line . During presentation Consultant submitted that the proposed project site is in Industrial Area of Vikram Udyogpuri Ltd., which is dedicated for industrial development. The CETP project is situated in such a way that the effluent from nearby industries can be transported using pipeline in economical way for further treatment. Topography of land is nearly plain. Seismic zone of proposed site is Zone II which is suitable for proposed development. Following details about the project:

- This is proposed project of 1 MLD common effluent treatment plant based on ZLD At Plot No. 64, Zone II, Vikram Udyogpuri, District Ujjain, M.P .
- Proposed 1 MLD CETP is based on Zero Liquid Discharge (ZLD) system located at Plot No. 64, Zone II, Vikram Udyogpuri, Ujjain, M.P.
- Common Effluent Treatment Plant is planned to cater the entire industrial effluent generated industrial area.
- Environmental Clearance for Vikram Udyogpuri, Ujjain Industrial Area is received vide Letter No. 7263/SEIAA/2015 dtd. 05.11.2015, Case No. 1728/2013. The area is 442 Ha. and located in 7 villages viz. Narvar, Karchha, Munjakhedi, Gawdi, Piplodhwar, Dwarkadhish, Madhupur.
- Standard ToR has been granted vide Letter No. 8940/2022 dtd. 24th Jan 2022.
- Project was considered in 548th SEAC Meeting dtd. 10.02.2022 for issuing additional ToR.

### Project Description:

Sr. No.	Particulars	Description
1	Project	Proposed 1 MLD CETP based on ZLD
2	Land	1.95 acres (Out of 442 Ha. of notified Industrial area)
3	Effluent collection	The project components for the industrial effluent collection and treatment system will be as follows- <ul style="list-style-type: none"><li>• Gravity and Pumping collection system for the industrial effluent from industrial pockets to ETP</li><li>• Effluent treatment plant based on ZLD</li><li>• MBR for recycled water &amp; recycled water Pumping station</li><li>• Recycled Water Rising Mains from MBR to Elevated service reservoir (ESR) and distribution main pipeline.</li></ul>
4	Electricity Requirement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Source: Vikram Udyogpuri Limited feeder</li><li>• During Construction Phase: 500 KVA</li><li>• During Operation Phase: 9150 KW</li></ul>

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

5	Effluent collection	<p>The project components for the industrial effluent collection and treatment system will be as follows-</p> <p>Gravity and Pumping collection system for the industrial effluent from industrial pockets to ETP</p> <p>Effluent treatment plant based on ZLD</p> <p>MBR for recycled water &amp; recycled water Pumping station</p> <p>Recycled Water Rising Mains from MBR to Elevated service reservoir (ESR) and distribution main pipeline.</p>
6	Electricity Requirement	<p>Source: Vikram Udyogpuri Limited feeder</p> <p>During Construction Phase: 500 KVA</p> <p>During Operation Phase: 9150 KW</p>
7	Effluent quantity	Average Effluent Flow: 1 MLD
8	Basic CETP design	<p>Stilling chamber</p> <p>Fine screen chamber (Mechanical/Manual) and approach channel</p> <p>Grit chamber (Detritus tank)/ Aerated grit chamber/ Vortex type &amp; Parshall flume with flow measuring device</p> <p>Oil &amp; grease removal system- Manual oil trap/Tilted plate separator/Corrugated plate interceptor / Belt skimmer</p> <p>Equalization tank</p> <p>Chemical treatment- coagulation, flocculation and sedimentation units (flash mixer &amp; clariflocculator)</p> <p>Division chamber</p> <p>Biological treatment units</p> <p>Tertiary treatment units</p> <p>UF and RO plant with RO permeate tank, RO reject tank and blending tank. UF may not be required if MBR technology is proposed.</p> <p>Chlorine contact tank</p> <p>ZLD system</p> <p>Gravity sludge thickener</p> <p>Sludge dewatering units-centrifuge</p> <p>Polyelectrolyte solution preparation tanks and dosing system comprising dosing pumps</p> <p>Backwash water recovery tank &amp; Wastewater recycling system</p> <p>Blending tank to Master balancing reservoir-Recycled water</p> <p>Vacuum feed type chlorination system with provision of both pre-chlorination as well as post-chlorination</p> <p>Store house for chemicals, spare parts etc.,</p> <p>Maintenance workshop, laboratory, administration building and master control centre</p> <p>Online analysers for monitoring the quality of effluent at the inlet and outlet of the ETP</p> <p>Service water supply system</p>

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

9	Effluent Collection System from member Units	Terminal & Intermediate Industrial Effluent Pumping stations will be provided. The effluent will be collected from various industries through proper conduit pipes and will be directed to CETP. Pipes of varying diameter, will be used for carrying effluent from member industries to the proposed CETP. The pipes will be laid mostly underground. Partly above ground at the pumping station.		
10	Raw material requirement	Lime: 719 Kg/d Alum / PAC- 55 Kg/day Polyelectrolyte solution: 55 LPD Chlorine for disinfection @ 5 ppm Dewatering Polymer @1.50 Kg/ton of dry solids		
11	Water requirement	Domestic: 1.5 CMD Laboratory: 0.5 CMD		
10 2	Source of fresh water	Narmada water under Narmada Valley Development Authority		
13	DG Set	1 No. x 1000 KVA		
14	Fuel	25 lit/hr. HSD shall be stored in 990 lits. Storage tank which will cater one day continuous DG operation		
15	Solid waste generation	Type	Quantity	Disposal
		Spent oil	0.0025 CMD	Sent to CHWTSDf
		Chemical sludge	5-6 Tonnes/day	Sent to CHWTSDf
		Discarded Containers	50-60 Containers per day	Sent to authorized recyclers
		Domestic Solid Waste	Wet Waste: 9 Kg/d Dry Waste: 4 Kg/d	Handed over to local authority
16	Air pollution control	DG Stack: 13.5 m APC: Acoustic Enclosure & Stack (Height shall be as per CPCB Norms)		
17	Man-power	Construction: 40-50 Nos. During operation: Total 25 (Skilled and Unskilled)		
18	Total project cost	42.6 Cr. (Including 5 years Operation & Maintenance)		

PP further submitted that water requirement shall be fulfilled Narmada – Kshipra River Link project scheme govern by Narmada Valley Development Authority. After presentation committee asked PP to submit response on following issues including irrelevant/misleading information provided in Form-II, such as:

1. In Form-II point no.14.6- please justify post monsoon GW level of 0.80 meters.
2. In Form-II point no.16- please justify domestic sewage shown as 1000 KLD.

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

3. In Form-II point no.18.1- why GLC's are not tabulated.
4. In Form-II point no.21- Landuse details of study area?
5. In Form-II point no.32- please justify 180 trees in Rs. 5.00 lakhs. Additional plantation can be proposed on the banks of Kshipra River.
6. In EIA at one place it is proposed that effluent will be collected through gravity and at another place through gravity and pumps. Please submit clear proposal with justification through contour analysis.
7. In EIA p/24, the details/dimensions of proposed CETP is not readable. Please provide its legible copy.
8. In EIA p/25, the details/dimensions are not readable. Please provide the legible copy for analysis and interpretation and detailed scheme of CETP.
9. Justification, how the effluent of API industry will be handled and treated.
10. Power consumption shown in form-II needs to be varified.
11. Eleborate submissions on specific TOR points issued by the SEAC in 548<sup>th</sup> meting dated 10/02/22.
12. Copy of the water supply permission that reveals water requirement for this project shall be fulfilled through Narmada – Kshipra River Link scheme by Narmada Valley Development Authority.
13. In the tertiary treatment, submit RO reject volume & its management plan.
14. Revised details of stack height calculation considering proposed manufacturing of API & API Intermediates at unit in the vicinity on the eastern side.
15. Revised plantation species remove plants like Sal, instead of this proposed species like Neem, Karanj, Bahunia, Putranjiva, Ficus, Ashok and Mehndi (in the hedge) and incorporate some fragrance tree species to avoid bad odour as suggested by the committee.
16. Submit physical targets based Corporate Environment Responsibility (CER) activities and EMP as suggested by the committee.

**2. Case No. – 6376/2019 M/s Jujawal Marble, 907/1, Badi Omti, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 9.818 ha. (Granite - 5246 cum per annum and Saleable waste material - 28480 cum per annum) (Khasra No. 2700, 2702, 2703/1, 2704, 2705, 2707, 2708, 2711/1, 2711/2, 2706, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716/1, 2664/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2700, 2702, 2703/1, 2704, 2705, 2707,

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

2708, 2711/1, 2711/2, 2706, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716/1, 2664/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 9.818 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 385वीं दिनांक 12/07/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 17/06/22 को श्री रहमानी परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज का कुछ भाग शासकीय भूमि पर है तथा कुछ भाग निजी भूमि पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र में झाड़ियाँ लगी हैं तथा इनमें कोई भी पेड़ नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पश्चिम भाग से 190 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ निकल रहा है। आवेदित क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाले के कारण 50 मीटर का सेट बेक छोड़ा गया है एवं यही पर सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाला के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। इसी प्रकार खदान के दक्षिण-पूर्वी दिशा में एक तालाब स्थित है जो लगभग 210 मीटर दूर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान से सुरक्षा एवं बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। इसी प्रकार कटिंग के दौरान निकलने वाली स्लरी मैनेजमेंट हेतु सेटलिंग पोण्ड का प्रस्ताव दिया गया है तथा सेटलड वाटर को रि-सायकल किया जायेगा तथा स्लज को स्लज ड्राइंग बेड में सुखाकर बैकफिल्ड किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के समय समिति द्वारा वन्यप्राणीयो से सुरक्षा हेतु 2.10 मीटर ऊंची गेम प्रूफ वाउण्ड्रीवाल (वेस 2.50 मीटर तथा टॉप 75 से. मी. व्हिप होल के साथ) बनाई जाये। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
- ✓ आवंटित खदान निजी भूमि व शासकीय दोनों पर है, अतः विवरण दें कितना भाग निजी भूमि पर एवं कितना भाग शासकीय भूमि पर खसरा नं. सहित।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट – 5246 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट मटेरियल - 28480 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 45.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 19.09 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40.00 लाख :-

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	Plan	Activity with Budget
1.	Provision of infrastructure support to the primary school	One kitchen room with platform (10feet X 10Feet), 2 Toilet at Govt. Primary School, Chilpa with facility of water through bore well at School.- <b>5.00 Lacs</b>
2	Provision of drinking water facility at village Semarwar	Drinking water supply through tanker - <b>15.00 lacs &amp; 3.00 lacs per year recurring</b>
3	To adopt one anganwadi center of village Semarwar and Pipariya Tola	To provide food suppliments, toys, utensils etc <b>10.00 lacs Capital and 3.00lacs per year recurring</b>
4	Maintenance of road	Maintenance of village road 2km@2lac per km- <b>4.00lacs</b>
	<b>Total</b>	<b>30 Lacs – Capital, 10.00lacs per year recurring</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 14000 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

Location	Time line	Species	Number	Remark
Along with barrier zone having area of 2307m x 7.5m = 1.7303 sq mtrs	1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup> Year	Neem, Kastar, Babul, Chirol, Khamar and other local species etc. Seed of Subabul, & locally available species. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	<b>3000</b>	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility & Over heap and along the garland drain

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

Over backfilled and bench area	Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, Kastar, Neem, Chirol, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	<b>7500</b>	Within lease area which will be fenced
Transportation road	(Minimum 01 meter hight)	Neem, Kastar, Babul, Chirol, Jangal Jalebi, Khamar and other local species etc.	<b>1500</b>	With protection.
For village distribution at Semarwar, Chilpa	1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> year	Kathal, Bans, Karanj, Munga, Neeem, leman, Mango Sitafal, Jamun and other local species etc.	<b>2000</b>	Height of 3 to 4ft saplings
		<b>Total</b>	<b>14000</b>	
Casualty Replacement : 2 <sup>nd</sup> Year to 5 <sup>th</sup> Year Maintenance Operation : 2 <sup>nd</sup> year to Lease Period				

**3. Case No. – 6534/2019 M/s Jabalpur Ispat Pvt. Ltd, 907/1, Badi Omti, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 7.350 ha. (Granite-3,290 & Sallable waste material-23,043 cum per annum) (Khasra No. 2678, 2679, 2680, 2683/2, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2722/1, 2722/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP). M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2678, 2679, 2680, 2683/2, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2722/1, 2722/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 7.350 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 401वीं दिनांक 01/11/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।



## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

आज दिनांक 17/06/22 को श्री रहमानी परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज का कुछ भाग शासकीय भूमि पर है तथा कुछ भाग निजी भूमि पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन क्षेत्र में झाड़ियाँ लगी हैं तथा इनमें कोई भी पेड़ नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र के पूर्वी एवं उत्तरी भाग से क्रमशः 90 मीटर व 240 मीटर दूरी पर एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है कच्चा रोड़ निकल रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाले के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। इसी प्रकार खदान के पश्चिम तथा उत्तर भाग से क्रमशः 50 मीटर व 230 मीटर पर कच्चा रोड़ निकल रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि जितने पेड़ कोटे जाये, उससे अधिक संख्या में पेड़ लगाये जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वृक्षारोपण संबंधी योजना ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. में शामिल की गई हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा सी.ई.आर. में एक एम्बुलेंस भी गांव वालों की सहायता हेतु खनन क्षेत्र में रखा जाना प्रस्तावित है जिसके संदर्भ में समिति ने सुझाव दिया कि यह एम्बुलेंस निकट की पी.एच.सी. (फुनगा पी.एच.सी) में दी जाये ताकि आसपास के सभी ग्रामीणों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। इसी प्रकार कटिंग के दौरान निकलने वाली स्लरी मैनेजमेंट हेतु सेटलिंग पोण्ड का प्रस्ताव दिया गया है तथा सेटलड वाटर को रि-सायकल किया जायेगा तथा स्लज को स्लज ड्राइंग बेड में सुखाकर बैकफिल्ड किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के समय समिति द्वारा वन्यप्राणीयों से सुरक्षा हेतु 2.10 मीटर ऊंची गेम प्रूफ वाउण्ड्रीवाल (वेस 2.50 मीटर तथा टॉप 75 से.मी. व्हिप होल के साथ) बनाई जाये। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी।
- ✓ आवंटित खदान निजी भूमि व शासकीय दोनों पर है, अतः विवरण दें कितना भाग निजी भूमि पर एवं कितना भाग शासकीय भूमि पर खसरा नं. सहित।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट – 3290 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट मटेरियल – 23043 घनमीटर/वर्ष

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 44.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 18.03 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40.00 लाख :-

<b>Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target</b>		
<b>SN</b>	<b>Plan</b>	<b>Activity with Budget</b>
1.	Provision of infrastructure support to the primary school	One kitchen room with platform (10feet X 10Feet), 2 Toilet at Govt. Primary School, Chilpa with facility of water through bore well at School.- <b>5.00 Lacs</b>
2	Provision of drinking water facility at village Semarwar	Drinking water supply through tanker - <b>15.00 lacs &amp; 3.00 lacs per year recurring</b>
3	Provision of Ambulance at PHC – Funga Blck	To provide one ambulance free of cost for nearby villages i.e. Semarwar, Chilpa, Dhanpuri etc. - <b>10.00 lacs Capital and 3.00lacs per year recurring</b>
4	Maintenance of road	Maintenance of village road 2km@2lac per km- <b>4.00lacs</b>
	<b>Total</b>	<b>30 Lacs – Capital, 10.00lacs per year recurring</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 14000 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

<b>Location</b>	<b>Time line</b>	<b>Species</b>	<b>Number</b>	<b>Remark</b>
Along with barrier zone having area of 1280m x 7.5m = 9600 sq mtrs	1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup> Year	Karanj, Neem, Kastar, Babul, Chirol, Khamar and other local species etc. Seed of Subabul, & locally available species Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	<b>2000</b>	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility & Over heap and along the garland drain
Over backfilled and bench area	Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, Kastar, Neem, Chirol, Bans, Khamar, and other local species etc.	<b>8500</b>	Within lease area which will be fenced

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

Transportation road	(Minimum 01 meter hight)	Neem, Kastar, Babul, Chirol, Jangal Jalebi, Khamar and other local species etc.	<b>1500</b>	With protection.
For village distribution at Semarwar, Chilpa	1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> year	Kathal, Bans, Karanj, Munga, Neeem, leman, Mango Sitafal, Jamun and other local species etc.	<b>2000</b>	Height of 3 to 4ft saplings
		<b>Total</b>	<b>14000</b>	
Casualty Replacement : 2 <sup>nd</sup> Year to 5 <sup>th</sup> Year Maintenance Operation : 2 <sup>nd</sup> year to Lease Period				

**4. Case No 7341/2020 M/s S.B.Granites Ltd, 614, Apex Mall, Lal Kothi, Tank Road, Dist. Jaipur, Raj. – 302015 Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 2.50 ha. (500 cum per annum) (Khasra No. 28/1) at Village- Silpatpura, Tehsil- Chandla, District- Chhatarpur (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Granite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 28/1) at Village- Silpatpura, Tehsil- Chandla, District- Chhatarpur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 449<sup>nd</sup> SEAC dated 24/07/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 558वीं दिनांक 04/03/22 एवं 554वीं दिनांक 23/02/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है ।

प्रकरण सिया की बैठक क्रमांक 728 दिनांक 27/5/22 में लिए गए निर्णय अनुसार रिलिस्ट कर सेक को एप्राइज हेतु भेजा गया है ।

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

प्रकरण आज दिनांक 17/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**5. Case No 9209/2022 M/s Jailal Bharatlal, Kumhra Judwani Bauxite, Ochre & White Earth Mine, 26/52, Alfratganj, Madhai ka Bagicha, BD Agarwal Ward Katno, MP - 485221 Prior Environment Clearance for Bauxite, Ochre & White Earth Mine in an area of 10.73 ha. (Bauxite - 29627 Tonne per annum, Mineral Reject - 7406 Tonne per annum, OB - 1389 Tonne per annum) (Khasra No. 43(P)), Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semaria, Dist. Rewa (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Bauxite, Ochre & White Earth Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 43(P)), Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semaria, Dist. Rewa (MP) 10.73 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्साइट (लीज एरिया 10.73 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 20 मीटर पर आबादी / बसाहट है, अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। लीज क्षेत्र के अंदर से पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पश्चिमी भाग से होते हुए उत्तरी भाग तक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

1. खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 20 मीटर पर आबादी / बसाहट है, अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. चूँकि खदान पहाड़ी के ऊपर (लगभग 45 मीटर) स्थित है, अतः रन ऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. लीज क्षेत्र के अंदर से पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पश्चिमी भाग से होते हुए उत्तरी भाग तक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।।
4. खदान के दक्षिण भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**6. Case No 9213/2022 M/s Rakesh Agencies, 26/52, Alfratganj, Madhai ka Bagicha, BD Agarwal Ward Katno, MP - 485221, Prior Environment Clearance for Ochre, White Earth, Bauxite, Laterite & Silica Sand Quarry in an area of 12.14 ha. (Bauxite - 3981 Tonne per annum, Laterite - 32711 Tonne per annum, TPA & OB - 12172 Tonne per annum) (Khasra No. 96/1), Village - Siddha Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of Ochre, White Earth, Bauxite, Laterite & Silica Sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 96/1), Village - Siddha Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 12.14 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूँकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खनिज बाक्साइट (लीज एरिया 12.14 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

खदान के पूर्व दिशा में 340 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के उत्तर भाग से 120 मीटर दूरी पर कच्चा रास्ता निकल रहा है एवं पश्चिम दिशा में 45 मीटर पर 45 मीटर पर पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । साथ ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 19/02/21 के अनुसार आवेदित क्षेत्र बीट पिपरीटोला के वन क्षेत्र क्रमांक पी-823 की वन सीमा से 214 मीटर दूर स्थित है, इस बावत् संभागायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की खनन् बावत् अनुशंसा एवं ग्राम सभा की एनओसी ऑन लाईन अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्व दिशा में 340 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के उत्तर भाग से 120 मीटर दूरी पर कच्चा रास्ता निकल रहा है एवं पश्चिम दिशा में 45 मीटर पर 45 मीटर पर पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 19/02/21 के अनुसार आवेदित क्षेत्र बीट पिपरीटोला के वन क्षेत्र क्रमांक पी-823 की वन सीमा से 214 मीटर दूर स्थित है, इस बावत् संभागायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की खनन् बावत् अनुशंसा एवं ग्राम सभा की एनओसी ऑन लाईन अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. आवेदित स्थल टाईगर मूवमेंट एरिया से बाहर है, के संबंध में वन मंडला अधिकारी (डी.एफ. ओ) का प्रमाण-पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

8. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**7. Case No 9216/2022 M/s Rakesh Agencies, 26/52, Alfratganj, Madhai ka Bagicha, BD Agarwal Ward Katni MP - 485221, Prior Environment Clearance for Bauxite, Ochre & White Mine in an area of 12.95 ha. (Bauxite - 8061 Tonne per annum, Ochre - 9620 Tonne per annum, Mineral Reject - 4138 Tonne per annum, TPA & OB - 3515 Tonne per annum) (Khasra No. 1(P)), Village - Chitti, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of Bauxite, Ochre & White Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1(P)), Village - Chitti Jaggir, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP) 12.95 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्सडिट (लीज एरिया 12.95 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग में खनन क्षेत्र के लगभग आधे भाग में आबादी है, अतः इस आबादी हेतु संरक्षण योजना तथा विस्तृत आर. एण्ड आर. योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के बीच में से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना प्रस्तुत की जाये । साथ ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्वी भाग में खनन क्षेत्र के लगभग आधे भाग में आबादी है, अतः इस आबादी हेतु संरक्षण योजना तथा विस्तृत आर. एण्ड आर. योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. आवंटित क्षेत्र के बीच में से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना प्रस्तुत की जाये ।
3. खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. ग्राम सभा की एनओसी ऑन लाईन अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेशरों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**8. Case No 9217/2022 M/s Taal Minerals, 7/26, Tilak Ward, Civil Line, Dist. Mandla, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 4.45 ha. (Dolomite - 60899 Tonne per annum, Mine Waste - 1209 Cum per annum, Soil - 3067 Cum per annum) (Khasra No. 30, 32, 36P, 46, 47, 48, 49, 50), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bichhiya, Dist. Mandla (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 30, 32, 36P, 46, 47, 48, 49, 50), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bichhiya, Dist. Mandla (MP) 4.45 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 819 दिनांक 07/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 (03 कार्यशील एवं 02 शिथिल) अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 24.49 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

एकल प्रमाण पत्र अनुसार खदान से वन सीमा की दूरी 250 मीटर के अंदर होने से संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 03/02/2020 के बिंदु क्रमांक-3 अनुसार "प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आवेदित क्षेत्र का गूगल अर्थ पर अवलोकन किया गया। परीक्षण एवं विचार उपरांत पाया गया कि उक्त क्षेत्र से कान्हा कोर जोन 10.49 किलोमीटर तथा ईको सेंसिटिव जोन 3.39 किलोमीटर की दूरी पर है। खदान क्षेत्र के आसपास अन्य कई डोलोमाइट के खदानें स्थित हैं जो कि कार्यशील हैं। उक्त क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का डोलोमाइट



## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

उपलब्ध पाया जाता है । स्वीकृत क्षेत्र पर पूर्व में उत्खनन किया गया है । अतः प्रकरण में खनिरियायत हेतु प्रस्तावित / स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर / वन सीमा के ओर चैनलिंग-फैनसिंग करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार केवल एक को-आर्डिनेट अपलोड किया गया है, जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि संभवतः इमेज सेव करते समय त्रुटिवश एक ही को-आर्डिनेट अपलोड हुआ होगा । भविष्य में इस तरह की त्रुटि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तरी क्षेत्र में क्रमशः 110 एवं 100 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. खदान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र से लीज के अंदर से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. खदान के पश्चिमी भाग के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है अतः माइन वाटर डिस्चार्ज प्लॉन ई.आई.ए. के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
5. खदान के पश्चिम क्षेत्र में नदी है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में अध्ययन कर क्या किसी परिस्थिति में इस खदान से निकला हुआ पानी के नदी के मिलने की संभावना है अथवा नहीं ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

### **9. Case No 9218/2022 M/s Shrikrishnadas Tikaram, Civil Lines, katni. Prior Environment Clearance for White Clay Mine in an area of 9.185 ha. (White Clay - 46138 Tonne per annum, Lateritic Soil - 21295 Cum per annum, Mine Waste - 5768**

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

**Cum per annum) (Khasra No. 231/1), Village - Khomraha, Tehsil - Ramnagar, Dist. Satna (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of White Clay Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 231/1), Village - Khomraha, Tehsil - Ramnagar, Dist. Satna (MP) 9.185 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग में खनन क्षेत्र के लगभग आधे भाग में आबादी है, अतः इस आबादी हेतु संरक्षण योजना तथा विस्तृत आर. एण्ड आर. योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के बीच में से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना प्रस्तुत की जाये। साथ ही प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेस्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊंचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 3390 दिनांक 30/03/19 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 60 मीटर की दूरी पर है इस बावत् संभागायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की खनन बावत् अनुशंसा ऑन लाईन अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। खदान का कुछ भाग बीच से खुदा हुआ है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 1977 में स्वीकृत हुई थी तथा 2006 से बंद है, अतः समिति ने अनुशंसा की कि इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये कि यह खनन कार्य कब हुआ है एवं किस वर्ष में कितनी मात्रा में खनिज निकाला गया है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्वी भाग में खनन क्षेत्र के लगभग आधे भाग में आबादी है, अतः इस आबादी हेतु संरक्षण योजना तथा विस्तृत आर. एण्ड आर. योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. आवंटित क्षेत्र के बीच में से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना प्रस्तुत की जाये।
3. चूँकि खदान पहाड़ी के ऊपर स्थित है, अतः रन ऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

4. खदान का कुछ भाग बीच से खुदा हुआ है, इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र कि यह खनन कार्य कब हुआ है एवं किस वर्ष में कितनी मात्रा में खनिज निकाला गया है ।
5. खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. वन मण्डलाधिकारी के पत्र क्रमांक 3390 दिनांक 30/03/19 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 60 मीटर की दूरी पर है इस बावत् संभागायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की खनन बावत् अनुशंसा ऑन लाईन अपलोड दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं की गई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेशरों का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. लीज आर्डर दिनांक 24/4/13 अनुसार ग्राम खोमरहा के नं. 230/1ख स्वीकृति का उल्लेख है जबकि फार्म-1 में ग्राम खोमरहा के खसरा नं. 231/1 पर उत्खनन हेतु पर्यावरणीय अभिसवीकृति चाही गई है, अतः परियोजना प्रस्तावक वास्तविक स्थिति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. लीज आर्डर दिनांक 24/4/13 अनुसार लीज की वैधता वर्ष 2015 में समाप्त हो चुकी है, अतः परियोजना प्रस्तावक लीज नवीनीकरण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**10. Case No 9211/2022 M/s ANGEEL OAK Speciality Chemtech Pvt. Limited, 218, Shekhar Central, 4-5, Manoramaganj, Near Palasia Square, Dist. Indore, MP - 452001, Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates (Production Capacity – 1839 MTPA, By Product – 385.69 MTPA) at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP)**

This is case of Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates Cat.5f at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP). Hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site. The application was on-line forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

The case was presented by Env. Consultant Shri Manish Chandekar , M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Ajay Raverkar , Director-Operations attended meeting through on-line during presentation following details were provided.

### Salient features of the project:

- AOSCPL is an Indian company conceptualized during 2021 and incorporated on 27th Oct-2021. Its registered office is in Indore.
- The fundamental objective of AOSCPL is to manufacture and supply API & API Intermediate products of high technology barriers through a collaborative business approach.
- We source our raw materials from the domestic market and have tie-up with the best manufacturing companies.
- This project is to strengthen the country's vision of "Aatmanirbhar Bharat".

Index	List of Finished Products	Quantity MTPA
<b>A</b>	<b>Products</b>	
1	Ortho fluoro Aniline	135
2	Para fluoro Aniline	134
3	2,4 Dichloro fluoro Benzene	200
4	1,3 Difluoro benzene	150
5	5 Nitro Salicylic Acid	180
6	Para fluoro anisole	100
7	Para fluoro Phenol	89
8	Hexa Fluoro Iso propyl methyl ether	483
9	Celecoxib	60
10	2,4 Di fluorobenzyl amine	60
11	1 Fluoro Naphthalene	60
12	3,5 Difluoro aniline	50
13	Para fluoro benzoic acid	138
	<b>Total</b>	<b>1839</b>
<b>B</b>	<b>By products</b>	
1	Spent Acid HCl	1681
2	Spent Sulphuric Acid	1759
3	Bromine	292.13
	<b>Total</b>	<b>3732.13</b>

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

### Project Details:

Details	Project Details
Site Address	Plot No.59,60,61,63 DMIC Vikram Udyogpuri, Ujjain, M.P
Land available	63144.92 Square Meters.
Proposed Production Capacity	1839 MTA (API & API Intermediates), 3855.69 MTA (BY-Product)
Cost of Project	70 Cr
Manpower Requirement	200 Nos.
Power requirement	1000 KW
Water Requirement & Source	300 KLD ; DMIC Water Supply
Boiler capacity and fuel consumption	5 Ton/Hr. Diesel -1928 KLPA/PNG- 2545 MTPA/LPG-1992 MTPA
DG set	2 no. (600 KVA)
Process Scrubbers	4 nos.
Plantation (Green belt development)	20837.8 Sq.mt.

### AREA STATEMENT

Sr No.	Particulars/ details of area allocated	Area in Square meters
1	Total Land Area	63144.92
2	Built up area	19055.5
2.1	Production blocks	8364
2.2	Utility (Cooling tower, Panel board, Boiler, Chilling plant, storage tanks), CCOE Drum Storage	1156
2.3	R/M and F/G Stores	6387
2.3.1	Flammable Chemical Storage Area	624

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

2.3.2	Toxic Chemical Storage Area	632
2.3.3	Chlorine Cylinder Storage Area	632
2.3.4	Diesel & Solvent Storage Area	632
2.3.5	AHF Tank farm/ Cylinder Storage Area	632
2.3.6	Finished Goods Storage Area	2268
2.3.7	PSA Nitrogen	60
2.3.8	General stores	907
2.4	Office Block including and QA/QC	3148.5
3	ETP, ZLD and Haz waste area	2388
4	Roads	16591.12
5	Green Belt Area	20837.8
6	Open Area	4272.5

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with along with following additional TORs as annexed in annexure-D:

1. PP should provide entire product mix in the EIA report.
2. HCl and H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> are proposed as by products in the proposal thus their source of generation and method of disposal shall be studied in the EIA report.
3. Furnish details of carbon foot print w.r.t. all industrial activity (point /line /non-point sources etc.).
1. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
2. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
3. VOC should be monitored in the AAQ.
4. All MSDS should be provided with the EIA report.
5. Water balance cycle data including quantity of effluent generated, recycle/reused and discharged.
6. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
7. Land use plans of the plant and PP should assure that existing green area shall be maintained and plan shall be submitted with the EIA report.
8. Storage protocol of raw material chemicals and finished products as per their compatibility.

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

**11. Case No 9212/2022 Ms. Payal Binnen, 81, Rajendra Nagar, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (19000 Cum per annum) (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sawaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) EIA Consultant: Green Circle Vadodara (Guj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/1/1/1), Village - Sawaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 17/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**12. Case No 9219/2022 Shri Shubhash Kirar, Owner, 3/16, Aishbag, Near Manshi Hospital, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Basalt Stone Quarry in an area of 3.970 ha. (19665 Cum per annum) (Khasra No. 1012), Village - Kasba, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) EIA Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1012), Village - Kasba, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) 3.970 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 17/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**13. Case No 9201/2022 M/s Vindhya Mining Works, Partner, Shri Brajesh Kumar Singh, 9F, H-3, 154, Sector - 9, Obra, Dist. Sonbhadra, UP - 231219, Prior**

**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

**Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (18125 Cum per annum) (Khasra No. 827), Village - Gangi, Tehsil - Chitrangi, Dist. Singrauli (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 827), Village - Gangi, Tehsil - Chitrangi, Dist. Singrauli (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 11/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 11/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 865 दिनांक 10/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 9.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में खदान क्षेत्र से कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार खदान क्षेत्र में बिखरे (स्केटर्ड) हुए आवासीय मकान दिख रहे हैं जिनकी संरक्षण की उपाय ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। खदान पहाड़ी पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन हेतु प्रस्तावित मार्ग मय ग्रेडियंट के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में खदान क्षेत्र से कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः इसके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।



**579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 जून 2022**

2. खदान क्षेत्र में बिखरे (स्केटर्ड) हुए आवासीय मकान दिख रहे हैं जिनकी संरक्षण की उपाय ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
3. चूँकि खदान पहाड़ी के ऊपर स्थित है, अतः रन ऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
5. खदान पहाड़ी पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन हेतु प्रस्तावित मार्ग मय ग्रेडियंट के साथ ई. आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**14. Case No 9202/2022 Shri Ram Sakha Verma Owner, Village - Sandoh, Tehsil - Teonthar, Dist. Rewa, MP - 486220 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (14999 Cum per annum) (Khasra No. 79 (Part)), Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 79 (Part)), Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 11/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

आज दिनांक 11/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 865 दिनांक 10/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 9.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 210 मीटर पर आबादी है तथा पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है, अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 210 मीटर पर आबादी है तथा पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्वेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**15. Case No 8689/2021 Smt. Mithlesh Singh W/o Shri Naval Singh, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 6.659 ha. (400000 cum per annum) (Khasra No. 285), Village - Gumanpura, Tehsil - Chandla , Dist. Chhatarpur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 285), Village - Gumanpura, Tehsil - Chandla ,

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

Dist. Chhatarpur (MP) 6.659 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by Env. Consultant Shri Amar Singh Yadav from M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P. behalf of PP in the 518<sup>th</sup> SEAC meeting dated 08/10/21. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Janpad Panchyat NOC, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekal Praman-Patra) letter No. 801 dated 01.03.2021 has reported that there are 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 16.659 ha., including this mine. As per Google image based on coordinates provided by PP, within 500 meters following sensitive features were observed of the lease area:

Sensitive Features	Approximate aerial distance from the lease area in meters	Direction	Remarks
Trees /shrubs root stock	within lease	--	Drone videography with tree inventory shall be carried out for consideration of case for grant of TOR.
River	140	South – east	Protection plan & Provision of Garland drain & settling tanks.
Surface drain	Originating from the lease	-	Protection plan
Human settlement	340	North- west	Controlled blasting with arrangements of sand bags and three rows of Plantation towards road side.

It was further observed by the committee in the Google image that whole site is full of number of trees and root stocks are in existence within lease area. Committee has a apprehension that mining activity and stone evacuation from the lease may disturb these trees and root stocks. Hence, after deliberation PP was asked to submit drone videography showing clear images of trees within lease boundary along with site photographs and trees inventory for further consideration of this case.

The case was discussed in the 534<sup>th</sup> SEAC meeting dated 15/12/21 wherein committee observed that PP of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. In the entire above cases online query was raised through EDS. As per MoEF&CC OM dated 15/03/21 if:

*“the reply to EDS is not received on PARIVESH within 30 days, the proposal will be excluded from the pendency list shown on PARIVESH. However, the PP can relist the proposal through their respective login provisions, as and when they want to submit the EDS reply”.*

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

Recently, SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694<sup>th</sup> meeting dated 26/11/21. According to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 (*SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/TOR*).

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same. The case was delisted by SEIAA and re-listed on the request of PP and was sent back to SEAC for appraisal.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये । ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान के पूर्वी क्षेत्र में 130 मीटर दूरी पर नदी निकल रही है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्वी क्षेत्र में 130 मीटर दूरी पर नदी निकल रही है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
7. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

### 16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला उमरिया (म.प्र.) (रेत खनिज हेतु)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 756 दिनांक 10/06/22 के माध्यम से उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है, कि जिला कलेक्टर, उमरिया के उप संभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिन की कार्यवाही पूर्ण कर एस.ई.ए.सी. समिति के परीक्षण एवं सिया कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 13/06/22 (सॉफ्टकापी) को ई-मेल द्वारा प्रेषित की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उमरिया के पत्र क्रमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन गठित समिति द्वारा किया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, उमरिया की ओर से सुश्री फरहत जहाँ, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उमरिया के पत्र क्रमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिला पोर्टल पर 21 दिन हेतु रखा गया अथवा नहीं तथा इस दौरान प्राप्त हुए सुझावों/आपत्तियों के निराकरण बावत् की गई कार्यवाही के विवरण उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन कब जिला स्तरीय समिति ने किया, उसका विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए।
- ✓ अध्याय आठ में पारिस्थितिकी संवेदी जोन (इको सेंसीटिव जोन) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं पनपथा अभ्यारण के विवरण के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 4027 (अ) दिनांक 13/12/2016 की जानकारी भी शामिल की जाना प्रस्तावित है।
- ✓ चूंकि सम्पूर्ण उमरिया जिला गंगा नदी तंत्र का भाग है जिसमें सोन, महानदी तथा जोहिला नदी आदि प्रमुख नदी तथा कई सारी सहायक नदियां जैसे केवई, कटना, केशर, कुनूख, चंडी, तिपन, मुडना आदि स्थित है। अतः राज्य /जिले के मतस्य पालन विभाग से अथवा अन्य संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित यदि कोई नदी/घाटी का क्षेत्र एक्वाकल्चर जलचरों से संवेदनशील हो तो ऐसे स्थानों को भी चिन्हित कर विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि चिन्हित Critical aquatic habitat के अप-स्ट्रीम एवं डाउन-स्ट्रीम में सुरक्षित दूरी छोड़कर ही रेत की लीज को अनुमोदन दिया जावे।
- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये कई नक्शों के विवरण पढ़ने योग्य नहीं है (जैसे : पेज 60 पर प्रस्तुत नक्शा) अतएव इसे बड़े स्केल में अलग से संलग्न किया जावे।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्याय 12 में जिले में विद्यमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टों की सूची में रेत की उपलब्धता का आधार पर स्पष्ट नहीं है। जैसे : क्रमांक-1 पर उल्लेखित मानपुर गोबर्दे खदान का कुल रकबा 20 हे. तथा मात्रा 39,00,000 घनमीटर का आधार क्या है, इसी प्रकार क्रमांक-2 मानपुर मोहबाला खदान का रकबा भी 20 हे. है किंतु मात्रा 2,22,925 घनमीटर दर्शाई गई है। इस प्रकार एक ही क्षेत्रफल वाली दो खदानों में रेत की मात्रा में इतना अंतर क्यों, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक रेत खनन हेतु स्वीकृत लीज में कितनी गहराई तक खनन किया जाना प्रस्तावित है, उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 71 के संलग्नक-3 में खनन योग्य खनिज क्षमता मीट्रिक टन में कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत कॉलम की गणना ठीक नहीं है, अतः इसका पुनरावलोकन कर सही मात्रा प्रस्तुत की जाये।
- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 89-92 में दी तालिका का पुनरावलोकन 60 प्रतिशत माइनेवल पोटेंशियल के साथ जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिए।
- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 93 के दर्शायी गयी टेबल में ऐसे क्षेत्रों की सूची/चिह्नित की गयी है जहां पर पर्यावरण की दृष्टि से खनन संभव नहीं है इस टेबल में रिमार्क के कॉलम में कारण को दर्शाया कि किस वजह से खनन कार्य संभव नहीं है का पर्यावरण संवेदी का कौन सा घटक प्रभावित हो रहा है तो यह टेबल ओर भी सारगर्भित होगी।
- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 100 में दर्शायी गयी टेबल में रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों को वन संरक्षित एवं वन आदि से दूरी इंगित की गयी है। इस टेबल में ईको सेंसेटिव जोन अधिसूचना, बांधवगढ़ एवं पनपथा से भी दूरी को उल्लेखित किया जाये।
- ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्नक-छः (पेज-73) में जानकारी लीजवार (स्वीकृत) प्रस्तुत की जाना चाहिए जिसमें उपलब्ध रेत की मात्रा, रिप्लेनिशमेंट मात्रा, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत गहराई को आधार मानते हुए गणना कर उसकी 60 प्रतिशत मात्रा उल्लेखित की जाना चाहिए।
- ✓ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
- ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटাইज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेरेवल - सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है (अध्याय छः पेज न०. - 36 में दर्शाये गये नक्शें एवं अध्याय 7 पेज न०. 49) उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सकें। यदि ए-4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए-3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

- ✓ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशील क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- ✓ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री फरहत जहां, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फॉर्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

### 17. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रतलाम (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 722 दिनांक 06/06/22 के माध्यम से रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 07/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 में प्रस्तावित है ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम म.प्र. ने पत्र 1084 दिनांक 06/06/22 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय में जमा कराई गई । पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावें / आपत्तियों अनुसार आवश्यक सुधार कर उप संभागीय समिति की अनुशंसा के पश्चात् अनुमोदन हेतु सिया, भोपाल भेजा जा रहा है । जिला कार्यालय के किस बैठक में एवं दिनांक को उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनुमोदन किया गया, इसका उल्लेख नहीं है ।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रतलाम की ओर से सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियाँ वांछित तालिका में नहीं दी गई हैं जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका-3 एवं 4 में रेत, गिट्टी स्टोन एवं मुरुम की जानकारी में लीज के अक्षांश-देशांश तथा वैधता की जानकारी समहित नहीं की गई है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका-21 में रेत की जो मात्रा जो कि घनमीटर में दर्शाई गई है, सही प्रतीत नहीं होती, जैसे :-
  - सरल क्रमांक-1 में एरिया 50,000 वर्गमीटर, गहराई 3.00 मीटर और रेत की उपलब्ध मात्रा 4000 घनमीटर।
  - सरल क्रमांक-2 में एरिया 30,000 वर्गमीटर, गहराई 3.00 मीटर और रेत की उपलब्ध मात्रा 4020 घनमीटर, अतः मात्रा संबंधी स्थिति स्पष्ट करें एवं गणना कैसे की गई है, स्पष्ट करें।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 62 के बिंदु क्रमांक 17 में स्थित ईको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया है सैलाना एवं खरमौर ईएसजेड को एक ही जिले में होना बताया गया है और खरमौर ईएसजेड को जिला रतलाम में होना बताया गया है जबकि खरमौर ईएसजेड जिला धार के अंतर्गत आता है। संबंधित सैलाना ईएसजेड के न तो विस्तार दिये गये हैं न ही सीमायें बताई गई हैं। चूंकि जिले परिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का नं. दिनांक एण्ड विस्तार और सीमायें का समायोजन होना अपरिहार्य है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका क्रमांक 27 एवं 28 में खनिज रेत हेतु लीजवार “माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के फिगर नं. 13 में ईएसजेड मैप का टाइटल है परंतु मैप के अंदर सीसमिक जोन दर्शाया गया है, इसमें संबंधित नक्शों का समावेश होना चाहिए।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक-21 की तालिका-20 में खदानों के कलस्टर को दर्शाया गया है “No. of mining lease location” परंतु उक्त तालिका में नॉन-कलस्टर लिखा गया है। अतः कृपया स्पष्ट करें कि क्या जिले में कलस्टर खदानों की जानकारी निरंक है।



## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 जून 2022

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक-21 एवं 22 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता एवं स्वीकृत गहराई के साथ जो गणना की गई है, वह सही प्रतीत नहीं होती है। यदि किसी वजह से रेत की उपलब्धता/आंकलन कम हो रही है तो रिमार्क में उचित टिप्पणी के साथ, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा प्री-मानसून एवं पोस्ट-मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है।
- बिंदु क्रमांक-26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोड़कर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटাইज्ड मैप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेबल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू-वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिले में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सकें। यदि ए-4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए-3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
- समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशील क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रतलाम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री आकांक्षा पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

### **Annexure- 'A'**

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 जून 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 जून 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be  $1/4^{\text{th}}$  or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 जून 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
  31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain



## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 जून 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 579वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained